न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 06/2022
रजि. संख्या : 2022/42

प्रार्थीपक्ष :–

व्यवरस्थापक लेम्पस घाटोल, उचित मुल्य की दुकानदार, ग्राम पंचायत घाटोल जिला बॉसवाडा (राज.) द्वारा श्री दिग्विजय सिंह

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री भगवत पुरी , श्री रवि पुरी – अभिभाषक (अपीलार्थी)

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–12–2021, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 13/2020

निर्णय

दिनांक :– 04–08–2022

श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 17( ) खा. वि./कोरोना वायरस/2020 दिनांक 04.04.2020 के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल द्वारा अप्रार्थी डीलर के दुकान की जांच कर दिनांक 06.04.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक जांच मौके पर सहायक व्यवस्थापक रूपेंग पाटीदार उपस्थित मिले। डीलर द्वारा अबेयन्स लिस्ट में दर्ज परिवारों को गेहूं का वितरण करना दर्शाया है। पोस मशीन संख्या 12844 से 20 उपभोक्ताओं को एवं 5979 से 18 उपभोक्ताओं का सामग्री वितरण करना बताया है। ये उपभोक्ता 1 वर्ष से अधिक समय से राशन सामग्री का उठाव नहीं रहे थे। मार्च 2020 में कोरोना के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट मिलने को अनुछित लाभ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

उठाते हुए इन्हें वितरण करना दर्शाया गया है। उपभोक्ताओं के भौतिक सत्यापन हेतु 38 में से 5 उपभोक्ताओं के घर जाकर उनके राशन कार्ड पर उठाये गये गेहूं का सत्यापन किया गया। जिसमें अनियमितता पायी गई। इस प्रकार डीलर ने वितरण नहीं कर राशन सामग्री को खुर्द–बुर्द किया जाना पाया गया। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 10,11,14,15, एवं 17 सी का उल्लघंन पाये जाने पर अपीलार्थी डीलर को दिनांक 24.11.2021 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसक अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के पश्चात् दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 463/1993 निरस्त करते हुये प्रतिभूति की राशि जब्त करने के आदेश दिनांक 28.12.2021 को किये है। जिससे व्यथित व असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, को सम्मन जारी किया गया।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। डीलर द्वारा कोविड 19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन पर रोक लगाकर ओ.टी.पी के आधार पर वितरण करने/किसी कारण से ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होन पर बिना ओ.टी.पी. राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर वितरण करने एवं अप्रेल 2020 का वितरण मार्च में प्रा[illegible] करने का अनुचित लाभ उठाते हुए अबेयन्स सूची में सम्मिलीत 38 उपभोक्ताओं को गेहूं का [illegible] किलो गेहूं का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। इसमें पोस मशीन [illegible] 30 उपभोक्ताओं का 266.05 किलो गेहूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

एवं पोस मशीन संख्या 5979 से 18 उपभोक्ताओं को 346.05 किलो गेहूं फर्जी तरीके से वितरण दर्शाकर गबन किया गया है। इसी आधार पर लेम्पस का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर बाद सुनवाई तथ्यों के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

दिनांक 29.07.2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 28.12.2021 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 24.05.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार चार माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 28.12.2021 जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील पर प्रस्तुत बहस में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि, अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब देने के अतिरिक्त अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विचारण के दौरान अपीलार्थी को नहीं सुना गया है, जवाब देने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है और प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रवर्तक निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का भी सत्यापन नहीं हुआ है। अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अपीलार्थी को उसके सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया है। प्रत्यर्थी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के तात्कालीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सहायक व्यवस्थापक श्री रूपेंग पाटीदार के विरूद्ध प्राथमिकी पुलिस थाना खमेरा, जिला बांसवाडा में लेखबद्ध करायी गई थी। जिस पर पुलिस थाना खमेरा द्वारा जांच के उपरान्त श्री रूपेंग पाटीदार के विरूद्ध अभियोग पत्रिका श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल जिला बांसवाडा के न्यायालाय में पेश की। जो प्रकरण संख्या नियमित आपराधिक 173/2020 दर्ज हुआ। जिसमें अभियुक्त रूपेंग पाटीदार की मृत्यु हो जाने से अपराध का उपशमान हो जाने के कारण कार्यवाही समाप्त कर पत्रावली न्यायालय द्वारा फैसल शुमार कर दी गई है। प्रत्यर्थी द्वारा अधिरोपित आरोप अपीलार्थी पर नहीं है तथा मृत सहायक व्यवस्थापक श्री रूपेंग पाटीदार द्वारा पारित किया जाना बताया है। उक्त तथ्य की जानकारी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.12.2021 को जरिये पत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा यह कहकर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया कि, आपराधिक न्यायालय द्वारा अभियुक्त रूपेंग पाटीदार को बरी नहीं किया गया है तथा मृत्यु हो जाने से कार्यवाही समाप्त की है। जो पूर्णतया मिथ्या, मनघड़न्त व निराधार है। अपीलार्थी वर्ष 1993 से राशन वितरण का कार्य नियमानुसार कर रहा है। अपीलार्थी एक संस्थान है। अपीलार्थी द्वारा अवधि से उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा है उसके द्वारा कोई अनियमितताऐं नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को बराबर समय पर नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सामग्री बराबर उठाई जाकर नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। अपीलार्थी के स्टॉक रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जा रहा है। अपीलार्थी के कार्य क्षेत्र घाटोल भाग प्रथम है जिसमें अनेक उपभोक्ता निवास करते है मात्र कुछ लोगों से बातचीत कर अविधिपूर्ण तरीके से लेम्पस का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। लेम्पस सेमी गवर्मेन्ट बॉडी है। लेकिन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने निजी व्यक्ति को डीलर बनाने के उद्देश्य से अकारण हितबद्ध लोगों से मिलकर लेम्पस जैसी संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता द्वारा नही की गई है। ... कोई शिकायत कर्ता उपस्थित नहीं हुआ है। सम्पूर्ण शिकायत मनमानी व झूठे ... से परे है। परन्तु प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय पारित कर व उक्त स्थिति को नजरअंदाज कर विधि एवं तथ्यों की गम्भीर भूल की है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो कमीयां बताई गयी है वह असत्य है। राशन वितरक के रूप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नहीं की है। साक्षीयों के बयान नहीं लियें गये है। हस्तलिखित जांच रिपोर्ट एवं कम्प्युटर द्वारा टाईपशुदा जांच रिपोर्ट में भारी विरोधाभास है, जिसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रत्यक्षी द्वारा जांचकर्ता से नहीं मांगा गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है और राशन वितरण के अन्दर कोई गडबडीया नहीं की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा नक्शा मौका नहीं देखा गया और राजनैतिक प्रभाव की झुठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि, प्रत्यर्थी द्वारा मात्र राजनेताओं की संतुष्टी के लिए अपीलार्थी के 27 वर्ष के कार्यकाल को अनदेखा कर तथा ग्राम वासियान के भावनाओं के विपरित अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। पोस मशीन से प्राप्त वितरण की पर्ची नहीं देना एवं महिने के अंतिम 3–4 दिन ही डीलर द्वारा दुकान खोली जाना भी असत्य है। जांचकर्ता द्वारा साक्षीयों के बयान नहीं लिये गये है। जिससे यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है और राशन वितरण के अन्दर कोई गडबडीयां नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी समस्त उपलब्ध सामग्री उपभोक्ताओं को वितरीत करता है। जिन उपभोक्तओं से पुछताछ की गयी है, उनको बराबर राशन वितरण किया गया है। उन्हें पुरा राशन मिला है और वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नहीं हुई है। अबेयॉन्स योजना में किसी प्रकार की कोई त्रूटि नहीं की गई है। पुरा इन्द्राज सही किया है तथा गेहुं का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा उसे भी जरूरतमन्द लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार वितरित किया गया है। मृत सहायक व्यवस्थापक द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोई त्रुटि की हो तो उसके लिए अपीलार्थी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जावेगा। गेहुं, शक्कर व केरोसिन का दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त गेहुं व केरोसिन बराबर उपभोक्ताओं को वितरण किया गया है और ... अपीलार्थी ने कोई भी अनियमितता नहीं की है तथा अपीलार्थी ने अनुज्ञा पत्र की शर्तों की कोई अवहेलना नहीं की है। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 16:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी की इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं देकर प्रत्यर्थी ने विधि एवं तथ्यों की भूल की है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.04.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है। जबकि कोविड–19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 11.04.2020 तक कुल 21 दिवस का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात् लॉकडाउन को बढाया भी गया था। उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा हर जरूरतमंद को भोजन हेतु राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थे तथा उपभोक्ताओं को घर घर जाकर राशन वितरण करने हेतु निर्देशित किया था। उस दौरान पॉस मशीन व राशन कार्ड में इन्द्राज की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में इन्द्राज नहीं होना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। परन्तु प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत निर्णय पारित कर व उक्त स्थिति को नजरअंदाज कर विधि एवं तथ्यों की गम्भीर भूल की है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी का उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 463/1993 को पुनः बहाल किया जावे तथा प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– भी दिलाया।

विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने रेस्पोडेंट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अधिकार दिया जाकर उक्त प्रकरण में तथ्यो के आधार पर विधि सम्मत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। लेम्पस द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रीक सत्यापन पर रोक लगाकर ओ.टी.पी के आधार पर वितरण करने, किसी कारण से ओ.टी.पी प्राप्त नही होने पर बिना ओ.टी.पी. राशन कार्ड नंबर दर्ज कर वितरण करने एवं अप्रेल 2020 का वितरण मार्च में प्रारंभ करने का अनुचित लाभ उठाते हुए दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020 तक 38 उपभोक्ताओ को गेहू का फर्जी वितरण दर्शाते हुए 612.10 किलो गेहू का गबन एवं दुरुपयोग किया है। इसमे पोस मशीन संख्या 12814 से 20 उपभोक्ताओ का 266.05 किलो गेहू एव पोस मशिन संख्या 5979 से 18 उपभोक्ताओ को 34[illegible] किलो गेहू फर्जी तरीके से वितरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दर्शाकर गबन किया है। इसी आधार पर लेम्पस का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर बाद सुनवाई तथ्यो के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। मृत सहायक व्यवस्थापक श्री रूपेश पटेल लम्पस घाटोल का कार्मिक था, उसके द्वारा की गई अनियमितता के लिये लम्पस व्यवस्थापक भी पुरी तरह से जिम्मेदार है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 17( ) खा. वि./कोरोना वायरस/2020 दिनांक 04.04.2020 के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल द्वारा अप्रार्थी डीलर के दुकान की जांच करने परं अनियमितताऐं करना पाये जाने से नियमानुसार कार्यवाही की गई है जॉच में पाया गया है कि लेम्पस द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रीक सत्यापन पर रोक लगाकर ओ.टी.पी के आधार पर वितरण करने, किसी कारण से ओ टी.पी प्राप्त नही होने पर बिना ओ.टी.पी. राशन कार्ड नंबर दर्ज कर वितरण करने एवं अप्रेल 202 का वितरण मार्च में प्रारंभ करने का अनुचित लाभ उठाते हुए दिनांक 22.03.2020 से 31.03.20 तक 38 उपभोक्ताओ को गेहू का फर्जी वितरण दर्शाते हुए 612.10 किलो गेहू का गबन दुरुपयोग किया है, जिसके सन्दर्भ में सम्बन्धित द्वारा सन्तोषप्रद प्रत्युत्तर पेश नही किया गया नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया एवं विधि संगत ढंग से सुन की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के त जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 10, 11, 14, 15 व 17 सी का उल्लंघन होने से अनुज्ञा- निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि 28–12–2021 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8-12-2021 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के ाथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:22 IST
Reason: SelfAttested